उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या-275/2022/1051/41-2022-01(अनु0 का0)/2022
लखनऊ:: दिनांक 02 मई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती के पत्र सं0-2500/न्याय-सहायक, दिनांक 20.04.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 11.04.2022 को श्री अरविन्द कुमार राय पुत्र श्री रमाशंकर राय, निवासी रामगढ़, थाना-जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़ (क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, बस्ती मण्डल) द्वारा थाना क्षेत्र हरैया स्थित तपसी धाम आश्रम, कसैला भदावल जनपद बस्ती में अपरान्ह 01:30 बजे आश्रम में पर्यटन विभाग के तरफ से हो रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण करने अपने निजी वाहन से गए थे। श्री अरविन्द कुमार राय निरीक्षण के समय शराब के नशे में थे। आश्रम परिसर में रामकथा चल रही थी। कथा वाचक उस समय विश्राम कर रहे थे। निरीक्षण के समय इनके द्वारा विश्राम कर रहे कथावाचकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसके कारण वहां मौजूद लोग व जनमानस आक्रोशित हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंचकर क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, बस्ती मण्डल श्री अरविन्द कुमार राय को थाने पर लाकर उनका चिकित्सीय परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हरैया, जनपद बस्ती से कराया गया। चिकित्सीय परीक्षण में अल्कोहल स्मेल की पुष्टि हुई। श्री अरविन्द कुमार राय, क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, बस्ती मण्डल के ड्यूटी के दौरान शराब के नशे से कानून व्यवस्था की असहज स्थिति उत्पन्न होने और कथावाचकों के साथ गलत व्यवहार किये जाने के कारण शासन की छवि धूमिल हुई। श्री अरविन्द कुमार राय, क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, बस्ती मण्डल, बस्ती का उपर्युक्त कृत्य सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-3(1), 3(2) एवं नियम-4(क) के विपरीत है।

2- अत: उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में निहित व्यवस्था के तहत श्री अरविन्द कुमार राय, क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, बस्ती मण्डल, बस्ती पुत्र श्री रमाशंकर राय, निवासी रामगढ़, थाना-जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़ को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3- श्री अरविन्द कुमार राय निलम्बन अवधि में कार्यालय महानिदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ से सम्बद्ध रहेंगे।

4- निलम्बन अवधि में श्री अरविन्द कुमार राय को वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-2 (भाग-02 से 04) के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अवशेष वेतन की धनराशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महॅगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के भत्ते के साथ कोई महॅगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महॅगाई भत्ता अथवा महॅगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

समाधान हो जाय कि श्री राय द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

श्री अरविन्द कुमार राय,
क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी,
बस्ती मण्डल, बस्ती
द्वारा महानिदेशक, पर्यटन।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0।
3. महानिदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सम्बन्धित अधिकारी की एक अतिरिक्त प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया सम्बन्धित अधिकारी को आदेश की प्रति तत्काल प्राप्त कराकर पावती शासन को 02 दिन के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. मण्डलायुक्त, बस्ती।
5. जिलाधिकारी, बस्ती।
6. कोषाधिकारी, बस्ती।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।